बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2005--आश्विन 15, शक 1927

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 648/30/सं./05 रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान नियम-2005

प्रस्तावना:—

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी/संबंध रखने वाले ऐसे अप्रवासी भारतीय व्यक्तियों को, जिन्होंने अपने कार्य कौशल, परिश्रम के साथ देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया है, के योगदान को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से, "छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान" देने का निर्णय लिया है. इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान" नियम-2005 है.

(2) ये नियम राज्य शासन द्वारा इनके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

Scanned with CamScanner

3. सम्मान का स्वरूप—
अपने कार्य कौशल तथा परिश्रम के साथ देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास अथवा आर्थिक क्षेत्र में उद्देश्यनीय कार्य करते हुए स्वयं को विदेश में स्थापित कर प्रतिष्ठापूर्ण स्थान ग्रहण करने वाले एक अप्रवासी भारतीय को पुरस्कार राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका, प्रशस्ति-पत्र के रूप में दी जाएगी. यह सम्मान उपरोक्तानुसार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा. प्रशस्ति-पत्र पृथक से दिया जावेगा.

4. निर्णायक मंडल का गठन—
राज्य शासन, सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य तथा आर्थिक क्षेत्र के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगा, गठन करेगा.

5. निर्णायक मंडल की शक्तियां—
(1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्य के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जाएगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यो को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

6. चयन की प्रक्रिया—
सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु राज्य शासन की ओर से जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से संचालनालय, संस्कृति अथवा जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में तथा राज्य शासन की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जाएगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि प्रमुख सचिव, संचालनालय, संस्कृति को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाएगी :—
(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय.
(ख) अप्रवासी भारतीय द्वारा विदेश में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी.
(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका सप्रमाण विवरण.
(घ) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

Scanned with CamScanner

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्ट प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा.

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालनालय, संस्कृति द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता,
(2) प्रस्तावना,
(3) "सम्मान" के विषय की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्योरा,
(4) प्राप्त अन्य पुरस्कार/सम्मान,
(5) प्रमाण.

7. चयन का मानदण्ड—

सम्मान के लिए अपने कार्य कौशल तथा परिश्रम से देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए स्वयं को स्थापित कर विदेश में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान ग्रहण करने वाले एक अप्रवासी भारतीय व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जिसने अपने कार्य कौशल तथा परिश्रम से विदेश में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान ग्रहण किया हो.

(2) निर्णायक मंडल व्यक्ति द्वारा पूर्व में किये गये तथा वर्तमान में किये जा रहे दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन करेगा.

(3) निर्णायक मंडल व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों से यह संतुष्टि करेगा कि सम्मान के लिए बतायी गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित है.

(4) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मंडल में व्यक्ति से संबंधित सदस्य है.

8. सम्मान की घोषणा—

निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. अलंकरण समारोह—

सम्मानों का अंलकरण समारोह संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति आमंत्रित किया जाएगा. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को सम्मान समारोह में उपस्थित होने की शर्त पर शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

Scanned with CamScanner

10. **व्यय की संपूर्ति—**
सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—**
राज्य शासन संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी, ऐसे संबंधित विषय, जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन—**
प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड अलग-अलग जिल्द में संचालनालय संस्कृति द्वारा संधारित किया जावेगा. चयनित व्यक्ति के सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी, जिसमें सम्मान के उद्देश्यों, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)
2.	श्री एम. एच. मिश्रा	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
3.	श्री व्ही. के. श्रीवास्तव	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
4.	श्री टी. एल. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त दि. 30-11-03)	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
5.	श्री सी. पी. देवांगन	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
6.	श्री कांति कुमार श्रीवास्तव	एफ 6-146/2003/वाक./पांच, दिनांक 25-07-2003
7.	श्री पी. सी. केरकेट्टा (सेवानिवृत्त 30-09-2003)	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
8.	श्री एनाबल टोप्पो	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
9.	श्री अर्जुन राम कावड़े	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002
10.	श्री फियूडियस टोप्पो (सेवानिवृत्त 28-02-2004)	एफ 6-146/2003/वाक./पांच, दिनांक 25-07-2003
11.	श्री ए. आर. कोयल	एफ 10-137/2001/वा.कर/पांच, दिनांक 19-12-2002

2. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नतियों का नियमितीकरण वर्ष 2002 में पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के आधार पर किया गया है. वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की दिनांक 01-04-2001 की वरिष्ठता सूची में निर्धारित क्रम के अनुसार रहेगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी तत्समय लागू नियम/निर्देशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

पं सुन्दरलाल शर्मा सम्मान

प्रस्तावना — छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों संस्थाओं को "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. **संक्षिप्त नाम**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान नियम-2006" है.

Scanned with CamScanner

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप—**

साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान" राशि रूपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन—**

राज्य शासन, साहित्य/आंचलिक साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां—**

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जायेगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया—**

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

Scanned with CamScanner

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. सम्मान का स्वरूप—

साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. निर्णायक मंडल का गठन—

राज्य शासन, साहित्य/आंचलिक साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियां—

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जायेगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. चयन की प्रक्रिया—

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

Scanned with CamScanner

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं को पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

(ख) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्त्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

(ख) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्त्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Scanned with CamScanner

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संपेक्षिका तैयार करवायी जावेगी—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) साहित्यकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(5) प्रमाण/टिप्पणियां
(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है.

7. चयन का मानदंड—

सम्मान के लिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से साहित्य आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने साहित्य आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि साहित्य/आंचलिक साहित्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे. जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. सम्मान की घोषणा—

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. अलंकरण समारोह—

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसकों उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

Scanned with CamScanner

10. व्यय की संपूर्ति—

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—

राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. अन्य दायित्वों का निर्वहन—

चयनित व्यक्ति के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

चक्रधर सम्मान

प्रस्तावना :—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/ संस्थाओं को "चक्रधर सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "चक्रधर सम्मान नियम-2006" है.

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

Scanned with CamScanner

3. **सम्मान का स्वरूप—**

संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "चक्रधर सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन—**

राज्य शासन, संगीत एवं कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

(1) कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय - सदस्य
(2) अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ - सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां—**

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया—**

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

Scanned with CamScanner

(ख) संगीत एवं कला के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो-प्रति. (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों का पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्त्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संपेक्षिका तैयार करवायी जावेगी—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(5) प्रमाण/टिप्पणियां
(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है.

Scanned with CamScanner

7. चयन का मानदंड—

सम्मान के लिए संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से संगीत एवं कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के संगीत एवं कला कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने संगीत एवं कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि संगीत एवं कला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए संगीत एवं कला के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि संगीत एवं कला के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सफलता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे. जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. सम्मान की घोषणा—

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. अलंकरण समारोह—

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसकों उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. व्यय की संपूर्ति—

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जावेगी.

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—

राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में निहित होंगे.

Scanned with CamScanner

12. अन्य दायित्वों का निर्वहन—

चयनित व्यक्ति के संगीत एवं कला कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, सचिव.

क्रमांक एफ-1-1/30/सं/2006 रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

दाऊ मंदराजी सम्मान

प्रस्तावना :—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इसमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/ संस्थाओं को "दाऊ मंदराजी सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "दाऊ मंदराजी सम्मान नियम-2006" है.

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. परिभाषा—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. सम्मान का स्वरूप—

लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "दाऊ मंदराजी सम्मान" राशि रुपये 2 लाख (रुपये दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

Scanned with CamScanner

4. **निर्णायक मंडल का गठन—**

राज्य शासन, लोक कला/शिल्प क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

(1) कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय - सदस्य

(2) अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ - सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां—**

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया—**

सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

(ख) लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

Scanned with CamScanner

(ग) यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

(घ) लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

(ङ) लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

(च) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्त्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संपेक्षिका तैयार करवायी जावेगी—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(5) प्रमाण/टिप्पणियां
(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है.

Scanned with CamScanner

7. चयन का मानदंड—

सम्मान के लिए लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति/संस्था का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के लोक कला/शिल्प कार्यों का मूल्यांकन होगा।

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि लोक कला/शिल्प के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए लोक कला/शिल्प के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि लोक कला/शिल्प के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. सम्मान की घोषणा—

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. अलंकरण समारोह—

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे. जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. व्यय की संपूर्ति—

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जावेगी.

Scanned with CamScanner

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—**

राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में निहित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन—**

चयनित व्यक्ति के लोक कला/शिल्प कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/7598.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 का उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	नादिया प.ह.नं. 10	7.90	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	करानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

Scanned with CamScanner

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/7599.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	इरिमकसा प.ह.नं. 10	2.34	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	करानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/भू-अर्जन/2006/7600.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बसावर प.ह.नं. 10	14.09	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	करानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

Scanned with CamScanner